MODERN COACH FACTORY-RAIBARELLY

MODERN COACH FACTORY-RAIBARELLY/ PU

Digitally Signed.
Name: DIPAK KUMAR (OTXJGE)
Date: 12-Aug-2026 11:59:33
Location: MCFP/MCF

Notification

System Generated Notification No. : MCFP/6960/3/S8630/M225/O225 **Date :** 12/08/2026

Subject : Selection for promotion to the post of Office Superintendent in Pay Level- 06 against 20% LDCE Quota in Other than Stores Department in MCF/RBL.

Last Date of application : 03/09/2026

A. Cadre Details

Department	PERSONNEL	**Sub-Department**	
Cadre ID	Ministerial (25983)	**Cadre Level**	Office Supdt (6960Pay Level: 6)
Intake Type	LDCE	**Intake %**	20.00%

B. Details of Vacancies

Note : Net vacancy is inclusive of PWBD vacancy as reservation for PWBD is horizontal reservation.

Net Vacancies				
#	**SC**	**ST**	**UR**	**Total**
Total	1	1	1	3

PwBD Vacancies				
	a	**b**	**c**	**d&e**
Backlog	1	0	0	0
Current	0	0	0	0
Total	1	0	0	0

C.

1. It has been decided to hold a selection for filling up 03 vacancies for the post of Office Superintendent in Pay Matrix Level-6 against 20% LDCE quota in Other than Stores department of MCF, Raebareli. Community wise bifurcation of vacancy is as above.

D. Service condition

1. All serving regular Ministerial staff of Other than Stores Department (Jr. Clerk-cum-Typist & Sr. Clerk-cum-Typist) of MCF, Raebareli possessing the education qualification of Graduation as on the date of notification and fulfilling the following conditions will be eligilble for volunteer in the aforesaid selection for promotion to the post of Office Superintendent (OS) in Pay Level-6 (GP-4200) against 20% LDCE Quota. (a) 05 years regular service as Jr.Clerk-cum-Typist in Pay Level-2 as on the date of notification. (Authority RBE No. 38 of 2019) OR (b) 03 years regular service as Sr.Clerk-cum-Typist in Pay Level-5 as on the date of notification. (Authority RBE No. 81 of 2019) OR (c) 05 years regular service as Jr.Clerk-cum-Typist in Pay Level-2 and Sr.Clerk-cum-Typist in Pay Level-5 put together working as on the date of notification. (Authority RBE No. 38 of 2019)

2. Candidate must have passed requisite typing proficiency test or granted exemption from typing test as per as per extant rule. (Authority: RBE No. 02/2017)

3. The qualification as entered in Service Record only will be accepted. Note: The above eligibility must be fulfilled by the date of issuance of this notification.

E. Required Education Qualification

1. All serving regular Ministerial staff of Other than Stores Department (Jr. Clerk-cum-Typist & Sr. Clerk-cum-Typist) of MCF, Raebareli possessing the education qualification of Graduation as on the date of notification.

F. Syllabus for the Examination

1. Syllabus for the above selection is attached as Annexure-I.

G. Mode of Selection

1. In terms of Railway Board's letter no. RBE No. 196/2018, RBE No. 97/2019 & RBE No. 194/2019, the mode of selection through the written examination (CBT/TBT) will be as under:- The selection shall consist of a written examination (CBT/TBT) and assessment of service record. While 85 % weightage will be given to the performance in the written examination, 15% weightage will be given to service records/APARs. (Authority Railway Board letter no. E (NG)I-2005/PM1/20, dated: 17.06.2005 & RBE No. 102/2005).

2. The Question paper of written examination (CBT/TBT) will be bilingual i.e., English & Hindi and will consists of 100% Objective Multiple Choice type question with four answer option as A, B, C, D (Authority: RBE No. 196/2018). In case of any discrepancy English version will be treated as final.

3. There will be 110 objective multiple choice type questions with four answer options and the candidate has to answer a maximum of 100 questions. In case the candidate answers more than 100 questions, first 100 attempted questions are to be taken for evaluation. Out of 110 questions, 10 questions will be from Rajbhasa related to the Official Language Policy and rules. (Authority RBE No. 97/2019)

4. There shall be questions on Official Language Policy and Rule for 10% of total marks. Employees should be encouraged to answer the questions related to the Official Language Policy and rules. However, these questions will not be mandatory.

5. In terms of instructions contained in Railway Board Letter No. E(NG)1/2018/PM1/4, dated: 14.11.2009 (RBE No. 194/2019), there will be a negative marking @ 1/3 mark for incorrect answers for LDCE selection where panel is arranged in the order of merit from those qualified. The duration of examination will be 120 minutes. (Authority: RBE No. 97/2019)

6. There will be no Supplementary written examination (CBT/TBT) in any conditions being an LDCE selection.

7. The qualifying marks in the written examination is 60%. However, SC/ST and PwBDs employees are eligible for a relaxation of 10% against SC/ST/PwBDs reserved vacancies as per extant rules.

8. Only those candidates, who secure the prescribed percentage of qualifying marks in written test will be subjected to scrutiny of Record of Service.

9. All other terms and conditions regarding mode of selection shall remain effective in accordance with the provisions contained in there Railway Board's Letter No. 2025/E(RRB)/25/14, dated 21.08.2025.

H. Written Examination

1. In terms of Railway Board's letter no. No. 2025/E (RRB)/25/14, dated: 21.08.2025 the following procedure will be followed for CBT examination: The CBT examination will be conducted by Examination Conducting Agency (ECA) as per the direction of RRB/North Central Railway (NCR). (Authority: Railway Board's letter no. No. 2025/E (RRB)/25/14, dated: 21.08.2025)

2. The written examination will be a Computer based test (CBT)/Tablet Based Test (TBT) where there will be no physical question paper. All the questions will appear on the computer/tablet and the employee will have to mark their responses/answers to the questions on computer/tablet.

3. ECA will generate a formal admit card and it will be made available through a download link which will be provided by ECA and published on the Railway website at least 4 days before the exam.

4. Candidates will write a paragraph on their admit cards and sign & give thumb impression in designated spaces on the admit card and the attendance sheet.

5. A 15 minutes mock test will be conducted before the actual exam to familiarize candidates with the tablet-based interface. Candidate photographs and biometric data will be captured after login through tablets only.

6. ECA will provide separate instructional videos to both invigilators and candidates 4 days before the exam to ensure familiarity with the processes. These will be uploaded on the Zonal Railway/PU or division website by the nominated Railway officials.

7. ECA will publish the answer keys and candidate's responses via a link on the Railway website. Candidates may raise objections through the same link free of charge.

8. ECA will compile all objections and share them with Railway/PU. A designated officer will examine the objections and submit revised answer keys. No marks will be awarded to any candidate for the questions that are cancelled.

9. All other terms and conditions shall remain effective in accordance with the provisions contained in there Railway Board's Letter No. 2025/E(RRB)/25/14, dated 21.08.2025.

10. The complete exam schedule (including date, time, centre, exam type and candidate details) will be published on the Railway website 07 days before the exam. Concerned employees are advised to keep themselves in readiness to appear in the written test at a short notice. The above notification has also been made available on the official website of the MCF/RBL. (https://mcf.indianrailways.gov.in)

I. Procedure of drawal of Panel

I. The panel will be formed in order of Merit . Policy of Best Amongst the failures scheme in this promotions will not be applicable.

J. Prerequisite for Submission Of Application

1. Eligible employees who are willing to appear in this examination and fulfill the prescribed eligibility criteria shall submit their applications through HRMS only. No manual application shall be accepted. After the last date for submission of online applications, the application facility on HRMS shall be disabled after closing date.
2. The concerned supervisors shall ensure that all eligible employees covered under this notification are relieved from duty on the scheduled date to enable them to appear in the written examination. The in-charge/Controlling Officers are requested to circulate the notification for wide publicity amongst the staff working under administrative control.
3. If any difficulties are being felt for filling up of application in HRMS, please contact Personnel Branch, MCF/Raebareli.
4. No application will be accepted after the cut-off date. Incomplete applications will be summarily rejected without any notice and no representation shall be entertained in this regard.
5. If any of the above instructions were modified/altered at a later date by the Railway Board/MCF, RBL the administration reserves right to amend/cancel the above notification.
6. The Notification is bi-lingual i.e. in English and Hindi in case of any discrepancy English version will be treated as final. Hindi version of notification will be available on MCF/RBL official website only.
7. The above notification has also been made available on the official website of the MCF/Raebareli. (https://mcf.indianrailways.gov.in/)

K. Grounds for Rejection of Application

1. No application will be accepted after the cut off date. Incomplete applications will be summarily rejected without any notice and no representation shall be entertained in this regard.

L. Post Empanelment Conditions

1. In terms of instructions contained in Railway Board letter no. E(MPP)I/2005/3/40, dated: 29.11.2012 all such employees who are selected as Office Superintendents against 20% LDCE Quota will have to complete 21 days training successfully at Personnel Training School. All of them will have to successfully complete the mandatory training course before they are put on a working post, for which a prescribed examination at the end of the training course will be conducted. (Authority: RBE No. 133/2012)

M. Tentative Timeline

1. last date for submission willingness/option 03/09/2026

N. Attached Annexure List

Sr	Type	Remarks
1	Syllabus	Annexure-I

Signed by:

DIPAK KUMAR
APO
MCF/MODERN COACH FACTORY-RAIBARELLY /PU

Copy To (HRMS ID) :

Concerned Employee: RAGHVENDRA SINGH (EWYHQQ)/SENIOR STENOGRAPHER/STENOGRAPHER GRADE I/MCF/(MODERN COACH FACTORY-RAIBARELLY /PU), DIPAK KUMAR (OTXJGE)/APO/MCF/(MODERN COACH FACTORY-RAIBARELLY /PU), KRISHNA MOHAN PASWAN (SZGHDO)/CHIEF OFFICE SUPERINTENDENT/MCF/(MODERN COACH FACTORY-RAIBARELLY /PU), RITESH KUMAR JHA (UFUMKE)/OFFICE SUPERINTENDENT/MCF/(MODERN COACH FACTORY-RAIBARELLY /PU)

Copy To :

1. Secy. to GM/MCF/RBL: for Kind information to GM/MCF/RBL.
2. All HODs/Other than Store Dept./MCF/RBL.
3. All Dy. HODs/Other than Store Deptt./MCF/RBL.
4. PS to PCPO/MCF/RBL: to upload in the website of MCF/RBL (https://mcf.indianrailways.gov.in/).
5. All Notice Board of Main Admin, Mini Admin & Shop Floor.
6. General Secy./SC/ST Association, General Secy./OBC Association/MCF/RBL.
7. CS&WLI, S&WLI/MCF/RBL.
8. Ch.OS/Confidential Section (Personnel Department) for N/A.

आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना, रायबरेली
MODERN COACH FACTORY, RAEBARELI

Azadi Ka Amrit Mahotsav

Office of the
Deptt. of General Manager (P)
MCF, Raebareli(U.P.)
PIN-229120

कार्यालय,
कार्मिक विभाग,
आरेडिका, रायबरेली(उ.प्र.)
पिन -229120

अधिसूचना सं. (सिस्टम जनित)- MCFP/6960/3/S8630/M225/O225   दिनांक:12.08.2026

विषय : आरेडिका,रायबरेली के भण्डार विभाग के अतिरिक्त विभाग में 20% एलडीसीई कोटा के अंतर्गत वेतन स्तर-06 में कार्यालय अधीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए चयन ।

आवेदन की अंतिम तिथि: 03.09.2026

क. संवर्ग का विवरण

विभाग- कार्मिक
संवर्ग आईडी – अनुसचिवीय (25983)
संवर्ग का स्तर- कार्यालय अधीक्षक (6960 वेतन स्तर:06)
भर्ती का प्रकार – 20% एलडीसीई कोटा

ख. रिक्तियों का विवरण
नोट : कुल रिक्तियों में दिव्यांगजन (PwBD) हेतु निर्धारित रिक्तियां भी शामिल हैं, क्योंकि दिव्यांगजन हेतु आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी में है।

कुल रिक्तियाँ				
#	अजा.	अजजा.	अना.	कुल
कुल	1	1	1	3

दिव्यांगजन के लिए रिक्तियों का विवरण				
	a	b	c	d&e
बैकलॉग	1	0	0	0
वर्तमान	0	0	0	0
कुल	1	0	0	0

ग. आरेडिका, रायबरेली के भण्डार विभाग के अतिरिक्त विभाग में 20% एलडीसीई कोटा के अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स स्तर-06 में कार्यालय अधीक्षक के 03 पदों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया आयोजित करने का विनिश्चय किया गया है। श्रेणीवार रिक्तियों का विवरण ऊपर दिया गया है।

घ. सेवा शर्तें-

1. आरेडिका, रायबरेली के भण्डार विभाग के अतिरिक्त विभाग में कार्यरत समस्त नियमित लिपिकीय कर्मचारी (कनिष्ठ लिपिक एवं वरिष्ठ लिपिक), जो अधिसूचना की तिथि तक स्नातक हैं और निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं, वे कार्यालय अधीक्षक, वेतन स्तर-6 ,के पद पर 20% एलडीसीई कोटे के अंतर्गत पदोन्नति के लिए उक्त चयन में भाग ले सकते हैः-

12/8/26

(क) अधिसूचना की तिथि तक कनिष्ठ लिपिक-सह-टंकक, वेतन स्तर-02, के पद पर 5 वर्ष की नियमित सेवा।(प्राधिकारः आरबीई सं. 38/2019) अथवा (ख) अधिसूचना की तिथि तक वरिष्ठ लिपिक-सह-टंकक, वेतन स्तर-05, पद पर 03 वर्ष की नियमित सेवा अथवा (ग) अधिसूचना की तिथि तक कनिष्ठ लिपिक-सह-टंकक,वेतन स्तर-02 और वरिष्ठ लिपिक-सह-टंकक,वेतन स्तर-05, पद पर संयुक्त रूप से कुल 05 वर्ष की नियमित सेवा ।(प्राधिकारः आरबीई सं. 38/2019)।

2. कर्मचारी निर्धारित टंकण परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका हो अथवा विद्यमान नियमों के अनुसार उसे टंकण परीक्षा से छूट प्रदान की गई हो (प्राधिकारः आरबीई सं. 02/2017)।

3. केवल सेवा अभिलेख में दर्ज शैक्षणिक योग्यता ही मान्य होगी।

नोटः उपर्युक्त पात्रता अधिसूचना जारी होने की तिथि तक पूरी होनी चाहिए।

ड़. आवश्यक शैक्षिक अर्हताः-

आरेडिका, रायबरेली के भण्डार विभाग के अतिरिक्त विभाग में कार्यरत समस्त नियमित लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारी (कनिष्ठ लिपिक एवं वरिष्ठ लिपिक), जो अधिसूचना की तिथि तक स्नातक की शैक्षणिक अर्हता रखते हों।

च. परीक्षा का पाठ्यक्रम

उपर्युक्त प्रवरण के लिए परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट-। के रूप में संलग्न है।

छ. चयन प्रक्रिया

1. रेलवे बोर्ड द्वारा जारी आरबीई सं. 196/2018,97/2019 एवं 194/2019 में निहित प्रावधानों के अनुसार लिखित परीक्षा (सीबीटी/टीबीटी) के माध्यम से आयोजित प्रवरण की प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः- प्रवरण में एक लिखित परीक्षा और सेवा अभिलेखों का मूल्यांकन शामिल होगा। यद्यपि लिखित परीक्षा में निष्पादन को 85% अधिभार दिया जाएगा, तथापि सेवा अभिलेखों/एपीएआर को 15% अधिभार दिया जाएगा।(प्राधिकारः रेलवे बोर्ड का दिनांक 17.06.2005 का पत्र सं. ई(एनजी)।-2005/पी एम1/20,आरबीई सं. 102/2005).

2. लिखित परीक्षा (सीबीटी/टीबीटी) का प्रश्नपत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में होगा। प्रश्नपत्र 100% वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। (प्राधिकारः आरबीई सं. 196/2018) किसी भी प्रकार की विसंगति की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।

3. लिखित परीक्षा में 110 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प होंगे। अभ्यर्थी को अधिकतम 100 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। यदि अभ्यर्थी 100 से अधिक प्रश्नों के उत्तर देता है, उसके द्वारा दिए गए प्रथम 100 प्रश्नों के उत्तर ही मूल्यांकित किए जाएंगे। कुल 110 प्रश्नों में से 10 प्रश्न राजभाषा से संबंधित होंगे, जिनमें राजभाषा नीति एवं नियमों इत्यादि से संबंधित प्रश्न शामिल होंगे।(प्राधिकारः आरबीई सं. 97/2019)

4. कुल अंकों में से 10% अंक राजभाषा नीति एवं नियमों से संबंधित प्रश्नों के लिए निर्धारित होंगे। कर्मचारियों को राजभाषा नीति एवं नियमों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। हालाँकि, इन प्रश्नों का उत्तर देना वैकल्पिक होगा।

5. रेलवे बोर्ड के दिनांक 14.11.2009 के पत्र सं. ई (एन जी)1/2018/ पी एम1/4 (आरबीई सं. 194/2019) में निहित प्रावधानों के अनुसार एलडीसीईई कोटा के अंतर्गत चयन परीक्षाओं में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का पैनल

मेरिट के आधार पर तैयार किया जाएगा। ऐसे चयन परीक्षाओं में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नकारात्मक अंकन का प्रावधान होगा। परीक्षा की अवधि 120 मिनट होगी।(प्राधिकारः आरबीई सं. 97/2019)

6. यह एलडीसीई कोटे के अंतर्गत होने वाला चयन है अतः किसी भी परिस्थिति में पूरक लिखित परीक्षा (सीबीटी/टीबीटी) आयोजित नहीं की जाएगी।

7. लिखित परीक्षा में अर्हक अंक 60% होंगे। तथापि, प्रचलित नियमों के अनुसार अजा/अजजा. एवं दिव्यांगजन कर्मचारियों को उनके लिए के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध 10% अंकों की छूट प्रदान की जाएगी।

8. केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के सेवा अभिलेखों को जाँच के अधीन रखा जाएगा, जो लिखित परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्राप्त करेंगे।

9. चयन प्रक्रिया से संबंधित अन्य समस्त नियम एवं शर्तें रेलवे बोर्ड के दिनांक 21.08.2025 के पत्र सं. 2025/E(RRB)/25/14 में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रभावी रहेंगी।

ज. लिखित परीक्षा

1. रेलवे बोर्ड के दिनांक 21.08.2025 के पत्र सं. 2025/E(RRB)/25/14 में निहित प्रावधानों के अनुसार कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगीः- कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी), रेल भर्ती बोर्ड/उत्तर मध्य रेलवे के निर्देशन में परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी (ईसीए) द्वारा आयोजित की जाएगी। (प्राधिकारः रेलवे बोर्ड का दिनांक 21.08.2025 का पत्र सं. 2025/E(RRB)/25/14)

2. लिखित परीक्षा कंप्यूटर आधारित (सीबीटी)/टैबलेट आधारित (टीबीटी) होगी जिसमें कोई भौतिक प्रश्न पत्र (मुद्रित प्रति) नहीं होगा। सभी प्रश्न कंप्यूटर/टैबलेट पर प्रदर्शित होंगे और अभ्यर्थियों को अपने उत्तर कंप्यूटर/टैबलेट पर मार्क करने होंगे।

3. ईसीए द्वारा प्रवेश पत्र तैयार किया जाएगा जिसे परीक्षा तिथि से कम से कम 04 दिन पूर्व रेलवे की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। प्रवेश पत्र एक डाउनलोड लिंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।

4. अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र पर एक पैराग्राफ लिखेंगे और प्रवेश पत्र एवं उपस्थिति पत्रक पर निर्दिष्ट स्थानों में हस्ताक्षर एवं अंगूठे का निशान लगाएंगे।

5. अभ्यर्थी को टैबलेट आधारित इंटरफेस से परिचित कराने के लिए वास्तविक परीक्षा से पहले, 15 मिनट का मॉक टेस्ट आयोजित किया जाएगा। अभ्यर्थी का फोटो एवं बायोमेट्रिक विवरण टैबलेट पर लॉग-इन करने के पश्चात दर्ज किया जाएगा।

6. परीक्षा प्रक्रिया से अभ्यस्त कराने हेतु ईसीए द्वारा परीक्षा से 04 दिन पूर्व पर्यवेक्षक एवं उम्मीदवारो के लिए अलग-अलग निर्देशात्मक वीडियो उपलब्ध कराये जाएंगे । इन वीडियो को नामित रेलवे अधिकारियों द्वारा संबंधित क्षेत्रीय रेल/मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा।

7. ईसीए द्वारा रेलवे की वेबसाइट पर एक लिंक के माध्यम से उत्तर कुंजी एवं अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए उत्तर उपलब्ध कराए जाएंगे। अभ्यर्थी इसी लिंक के माध्यम से आपत्ति (यदि कोई हो) दर्ज करा सकेंगे, जो कि निःशुल्क होगा।

12/8/26

8. ईसीए द्वारा सभी आपत्तियों को संकलित कर संबंधित रेलवे को उपलब्ध कराया जाएगा। नामित अधिकारी द्वारा इन आपत्तियों की जांच की जाएगी तथा संशोधित उत्तर कुंजी जारी की जाएगी। निरस्त किए गए प्रश्नों के लिए किसी भी अभ्यर्थी को अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे।

9. अन्य सभी नियम व शर्तें रेलवे बोर्ड का दिनांक 21.08.2025 के पत्र सं. 2025/E(RRB)/25/14 में निहित प्रावधानों के अनुसार प्रभावी रहेंगी।

10. परीक्षा का संपूर्ण कार्यक्रम यथा तिथि, समय, परीक्षा केंद्र, उम्मीदवारों के विवरण परीक्षा से 07 दिन पूर्व रेलवे वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। संबंधित कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे अल्प अवधि सूचना पर लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए तैयार रहें । उपर्युक्त अधिसूचना आरेडिका,रायबरेली की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध करायी गयी है।(https://mcf.indianrailways.gov.in)

झ. पैनल गठन की प्रक्रिया- पैनल का गठन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इस प्रवरण हेतु "बेस्ट अमंग्स्ट द फेलियर्स" नीति लागू नहीं रहेगी।

ञ. आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक अर्हताएं-

1. पात्र कर्मचारी, जो इस परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक हैं तथा निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, अपना आवेदन एचआरएमएस के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत करेंगे। मैनुअल (ऑफलाइन) रूप से प्रस्तुत कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पश्चात एचआरएमएस पर आवेदन करने की सुविधा निष्क्रिय कर दी जाएगी।

2. संबंधित पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाले सभी पात्र कर्मचारियों को निर्धारित तिथि पर लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु समय पर कार्यमुक्त किया जाए। प्रभारी/नियंत्रक अधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कर्मचारियों के मध्य इस अधिसूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें।

3. एचआरएमएस में आवेदन भरने में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर अभ्यर्थी आरेडिका, रायबरेली की कार्मिक शाखा से संपर्क कर सकते हैं।

4. निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अपूर्ण भरे आवेदनों को बिना किसी सूचना के सीधे निरस्त कर दिया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. रेलवे बोर्ड अथवा आरेडिका, रायबरेली द्वारा उपर्युक्त निर्देशों में किसी भी चरण/बाद में कोई संशोधन किए जाने की स्थिति में प्रशासन को इस अधिसूचना में आवश्यक संशोधन करने अथवा इसे निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

6. यह अधिसूचना अंग्रेजी एवं हिंदी, दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। किसी प्रकार की विसंगति की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा। इस अधिसूचना का हिंदी संस्करण केवल आरेडिका, रायबरेली की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।

7. उपर्युक्त अधिसूचना आरेडिका,रायबरेली की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध करायी गयी है।(https://mcf.indianrailways.gov.in)

ट. आवेदन निरस्त किए जाने के आधार- निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अपूर्ण भरे आवेदनों को बिना किसी सूचना के सीधे निरस्त कर दिया जाएगा तथा इस संबंध में किसी भी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

ठ. पैनल में शामिल किए जाने के पश्चात की शर्तें:

रेलवे बोर्ड के दिनांक 29.11.2012 के पत्र सं. ई(एमपीपी)I/2005/3/40 में निहित प्रावधानों के अनुसार 20% एलडीसीई कोटे के अंतर्गत कार्यालय अधीक्षक के पद पर चयनित सभी कर्मचारियों को कार्मिक प्रशिक्षण विद्यालय में 21 दिन का निर्धारित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। संबंधित पद पर तैनाती से पूर्व सभी चयनित कर्मचारियों को अनिवार्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करना होगा जिसके लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अंत में निर्धारित परीक्षा आयोजित की जाएगी।

ड. प्रस्तावित तिथियाँ

आवेदन की अंतिम तिथि- 03.09.2026

ढ. संलग्न परिशिष्टों की सूची-

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी
1.	पाठ्यक्रम	परिशिष्ट-I

12/8/26

सहायक कार्मिक अधिकारी/स्टाफ
कृते महाप्रबंधक (कार्मिक)
आरेडिका, रायबरेली

प्रतिलिपिः

1. सचिव/महाप्रबंधक, आरेडिका, रायबरेलीः महाप्रबंधक महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. समस्त विभागध्याक्ष/भण्डार विभाग के अतिरिक्त, आरेडिका, रायबरेली।
3. समस्त उप विभागाध्यक्ष, भण्डार विभाग के अतिरिक्त,आरेडिका, रायबरेली।
4. प्रमुकाधि के निजी सचिव-II: कृपया उपर्युक्त अधिसूचना को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. समस्त नोटिस बोर्ड, प्रशासनिक भवन/उप प्रशासनिक भवन एवं शॉप फ्लोर।
6. महासचिव, एससी/एसटी/ओबीसी संगठन, आरेडिका, रायबरेली।
7. मुख्य कर्मचारी हित निरीक्षक/कर्मचारी हित निरीक्षक, आरेडिका, रायबरेली।
8. मुख्य कार्यालय अधीक्षक/ गोपनीय शाखा (कार्मिक विभाग)- आवश्यक कार्यवाही हेतु।

ANNEXURE-I

Syllabus for the post of OS/20% LDCE Quota (Level-6)

1. **Office Procedure**
   (a) Dak Handling
   (b) Maintenance of files.
   (c) Record keeping.
   (d) Maintenance of statistics.
2. **Writing Skill**
   (a) Letter/DO writing.
   (b) Notifications.
   (c) Note Writing.
   (d) Speaking orders.
3. Award of works in works programme.
4. Procedure for stores procurement.
5. Railway Organizational Structure.
6. Railway Housing (Rly. Quarters allotment) Policy.
7. Uniform Policy.
8. Booking of Running staff and non-running travelling staff.
9. Discipline & Appeal Rules and Conduct Rules.
10. Recognition of Trade Unions, Facilities to office bearers of recognized Unions/Associations. Dealing with Unrecognized Unions/Associations.
11. Medical examination and facilities available to Railway employees.
12. Audit and Accounts narrative report. Draft Paras and their disposal.
13. Cannons of financial propriety.
14. Classification of demands of grants.
15. **Man-Power Planning**
    - Vacancy Bank register.
    - Creation of Posts.
    - Bench Marking.
    - Supernumerary posts.
    - Redeployment of surplus staff.
16. Pay and Allowances.
17. Pass Rules.
18. Leave Rules.
19. Railway Pension Rules.
20. General Conditions of service.
21. Hours of Employment Regulations.
22. Official Language Act and Policy.
23. Labour Laws.
24. Right to Information Act. 2005.
25. HRMS/E-Office I-PASS, AIIMS, RESS.
26. Railway Service & Establishment Rules.
27. Welfare Measures and Facilities.
28. Rajbhasha.

12/08/24

(Dipak Kumar)
Assistant Personnel Officer/Staff
for GM (P)/MCF/RBL